जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम में विभिन्न कार्यों के लिए वार्षिक अनुबन्ध दरें निर्धारित

एक अक्टूबर से लागू होगी वार्षिक अनुबन्ध दरें

जयपुर, 30 सितम्बर। जयपुर डिस्कॉम में वर्तमान में प्रचलित सेन्ट्रल लेबर रेट कान्ट्रेक्ट (सीएलआरसी) की दरों की वैधता 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त हो रही है। इसके स्थान पर विभिन्न कार्यों के लिए एक अक्टूबर, 2019 से वार्षिक अनुबंध दरें (एआरसी) लागू हो जाएगी।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए.के.गुप्ता ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम में विभिन्न गतिविधियों जैसे 33 केवी सब–स्टेशन/33 केवी लाईन/11 केवी लाइन/सब–स्टेशन/एलटी लाईन एवं उपभोक्ताओं के विभिन्न दैनिक कार्य हेतु वार्षिक अनुबंध दरें (एआरसी) के लिए निविदाएं आमंत्रित कर दरों का निर्धारण किया गया है। निर्धारित की गई वार्षिक अनुबंध दरें (एआरसी) एक अक्टूबर से लागू होंगी।

उन्होंने बताया कि जो कान्ट्रेक्टर जयपुर विद्युत वितरण निगम में पंजीकृत है एवं जिन्होंने उक्त निविदा में सफलतापूर्वक भाग लिया है वे सभी इस ए.आर.सी. के अन्तर्गत कार्य कर सकेंगे।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 922/2019